FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.......................................**A.D.M. Court Bharatpur**...

.....................करनसिंह.......................................बनाम..................सरकार (तहसीलदार कुम्हेर)............

किस्म मुकदमा.....अपील (91 एलआरएक्ट).......................नम्बर...........89/2017...................................
....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.6.2018	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प तहसील कुम्हेर में पेश हुई। अपीलान्ट मय वकील उपस्थित। राजस्व लोक अदालत अभियान ''न्याय आपके द्वार'' की भावना के मध्यनजर वकील अपीलान्ट को सुना गया । समझाइश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह मुकदमा तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के मु0नं0 38/2017 पटवारी हल्का कुरवारा बनाम करनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 29.9.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि ख0नं0 579/1.25 में से 0.01 है0 से मौके से बेदखल/फसल नीलामी करते हुये 11 रू0 की शास्ती एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। इस संबध में चूंकि अपीलान्ट द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कब्जा छोडने एवं भविष्य में किसी भी सरकार भूमि पर अतिक्रमण न करने को वचनबद्ध हुआ है। ऐसी स्थिति में लोक अदालत/कोर्ट कैम्प की भावना को दृष्टिगत रखते हुये यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.9.2017 में से केवल 90 दिवस की सजा को अपास्त किया जाता है शेष आज्ञा यथावत रखी जाती है। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृति होने पर तहसीलदार कुम्हेर कडी कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र रहेगें। **अति0जिला कलक्टर** **(कोर्टकैम्प– कुम्हेर)** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official